



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-16072026-274560
CG-TL-E-16072026-274560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3730]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2026/आषाढ 24, 1948

No. 3730]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2026/ASHADHA 24, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 14 जुलाई, 2026

का.आ. 3893(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), तारीख 15 जुलाई 2026 को प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में, का. आ. संख्या 3274 (अ), तारीख 15 जुलाई 2026 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिनियम से उपावध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् “छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) – अंकाई दोहरीकरण परियोजना” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उपधारा (4) के अंतर्गत दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् “सकाळ”, और “लोकमत समाचार” में तारीख 01 ऑगस्ट 2025 को प्रकाशित किया गया था;

और, एकभूर्जी वाघलगाव तथा शहानवाजपूर गांव में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केंद्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इससे उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करता है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूपसे निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिले के एकभूर्जी वाघलगाव तथा शहानवाजपूर गांव मे उप. कलक्टर भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) के अधीन भूमि अधिग्रहण हेतु, “छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) – अंकाई” दुहेरीकरण” परियोजना.

महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेलवे परियोजना “ छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)– अंकाई दुहेरीकरण परियोजना” के अंतर्गत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संरचनओं सहित या उनके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं.	भूमि अधिग्रहण मामला सं.	गांव का नाम	तालुका एवं जिला	7/12 अनुसार भूमिधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि धारणा प्रणाली क्षेत्र	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर.चौ.मी)	अधिग्रहण क्षेत्र (हे.आर.चौ.मी)	संपत्ति			अभ्युक्तियां
									कुआं/बोर	निर्माण	वृक्ष	
1	48/2026	एकभूर्जी वाघलगाव	गंगापूर / छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)	सरलाबाई भाऊसाहेब बनसोड	39/2	1	4.59	0.09	-	-	-	-
				प्रमिला रामराव बनसोड	39/2			0.05	-	-	-	-
							कुल	0.14 हेक्टेयर				

2	50/2026	शहानवाजपुर	गंगापुर / छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)	कमलबाई रुपचंद कवाळे, धनराज रुपचंद कवाळे, अनिता लालचंद ठाकूर, संतोष रुपचंद कवाळे, कैलास रुपचंद कवाळे, सामाईक क्षेत्र	40	1	11.03	0.04	-	-	-	-
				साहेबराव बापुराव कुन्हाडे	40			0.06	-	-	-	-
				गोरखसिंग आसाराम बहुरे	40			0.1	-	-	-	-
				मंदाबाई काकासाहेब गायके	40			0.12	-	-	-	-
				शिलाबाई मच्छिंद्र बारसे	40			0.39	-	-	-	-
				रामराव काशीनाथ हजारे	41	1	0.86	0.16	-	-	-	-
				लक्ष्मण रामराव कापसे	44	1	5.32	0.1	-	-	-	-
				जसबीर साहेबराव कुन्हाडे	23	1	5.38	0.21	-	-	-	-
				सामाईक रस्ता	23			0.01	-	-	-	सामाईक रस्ता
				जसबीर साहेबराव कुन्हाडे व नलिनीबाई साहेबराव कुन्हाडे	23			0.37	-	-	-	-
				कौसाबाई शिवसिंग बिघोत	34	1	4.65	0.06	-	-	-	-
				पुरुषोत्तम नारायण राहते	34			0.21	-	-	-	-
							कुल	1.83 हेक्टेयर				

[फा.सं. E-313959/20E/150726]

मोहित वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण -V

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 14th July, 2026

S.O. 3893(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 3274 (E) dated the 15 July 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section(ii), dated the 15 July 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “Chhatrapati Sambhajnagar (Aurangabad)- Ankai Doubling project” in the District of Aurangabad in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily News Paper “Sakal” and “Lokmat Samachar” dated 1st August 2025, under sub section (4) of section 20A of the said Act,

And whereas, in Ekbhurji Wagalgaon & Shanawazpur villages no objections were received and accordingly orders have been passed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20(E). of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

“Chhatrapati Sambhajnagar (Aurangabad) - Ankai” Doubling Project” in Ekbhurji Wagalgaon & Shanawazpur Villages of Chhatrapati Sambhajnagar (Aurangabad) District, Under Deputy Collector (Land Acquisition) officer Chhatrapati Sambhajnagar (Aurangabad) and Competent Authority for Land Acquisition, Chhatrapati Sambhajnagar (Aurangabad); for Land Acquisition in the state of Maharashtra.

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project “Chhatrapati Sambhajnagar (Aurangabad) - Ankai Doubling project” in the State of Maharashtra.

S. No.	Land Acquisition Case No.	Name of the Village	Taluka & District	As Per 7/12 Land holder's name	Survey No.	Land holding method	Total Area as per 7/12 (H.R)	Acquisition Area (H.R)	ASSETS			Remarks
									Well / Bore	Constructions	Trees	
1	48/2026	Ekbhurji Wagalgaon	Gangapur / Chhatrapati Sambhajnagar (Aurangabad)	Sarlabai Bhausaheb Bansod	39/2	1	4.59	0.09	-	-	-	-
				Pramila Ramrao Bansod	39/2			0.05	-	-	-	-
							Total	0.14 Ha.				

2	50/2026	Shahnawazpur	Gangapur / Chhatrapati Sambhajnagar (Aurangabad)	Kamalbai Roopchand Kawale, Dhanraj Roopchand Kawale, Anita Lalchand Thakur, Santosh Roopchand Kawale, Kailash Roopchand Kawale, Common Area.	40	1	11.03	0.04	-	-	-	-
				Sahebrao Bapurao Kurhade	40			0.06	-	-	-	-
				Gorakhsingh Asaram Bahure	40			0.1	-	-	-	-
				Mandabai Kakasaheb Gaike	40			0.12	-	-	-	-
				Shilabai Machhindra Barse	40			0.39	-	-	-	-
				Ramrao Kashinath Hazare	41	1	0.86	0.16	-	-	-	-
				Laxman Ramarao Kapse	44	1	5.32	0.1	-	-	-	-
				Jasbir Sahebrao Kurhade	23	1	5.38	0.21	-	-	-	-
				Common Road	23			0.01	-	-	-	Common Road
				Jasbir Sahebrao Kurhade and Nalinibai Sahebrao Kurhade	23			0.37	-	-	-	-
				Kausabai Shivsingh Bighot	34	1	4.65	0.06	-	-	-	-
				Purushottam Narayan Rahate	34			0.21	-	-	-	-
							Total	1.83 Ha.				

[F.No. E-313959/20E/150726]

MOHIT VERMA, Chief Engineer/Con-V